



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59789

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2381/2026

बंटू उर्फ हरेंद्र

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: मिथिलेश कुमार शुक्ला

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 41/2025, धारा 191(2), 115(2), 118(1), 110, 352 बी.एन.एस., थाना- नगला खंगर, जनपद- फिरोजाबाद में इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फसाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपा गई है और सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। यह आगे तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त टीटू, गिरीश और मनोज को पहले ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। घायल की कोई भी चोट जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता होगी, वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान आवेदक सहित पांच अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता के चाचा के साथ मारपीट करने की बात कही गई है, हालांकि, उक्त घायल को ऐसी कोई चोट नहीं आई है जो जीवन के लिए खतरनाक हो।
6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।
8. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- बंटू उर्फ हरेन्द्र की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगी: -

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

रमा कांत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"